संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सेस हॉस्टल भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन परिसर, छत्तीसगढ़, रायपुर

दूरभाष कमांक 0771–2234450–51 वेबसाईट- www.cgdme.co.in

कमांक/4652 संचिशि/नर्सिंग/2018 रायपुर, दिनांक 28.03.18

–//राज्य के नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधित आवश्यक जानकारी//–

सत्र 2018 में प्रदेश के शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित **बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी** पाठ्यकमों में प्रवेश में रूचि रखने वाले आवेदक एवं उनके अभिभावक के सूचनार्थ यह सूचना प्रकाशित है, ताकि ऑन–लाईन/ऑफलाईन आवेदन के समय आपके पास निम्न मूल दस्तावेज उपलब्ध हो। काउंसिलिंग के संवीक्षा एवं प्रवेश प्रकिया में उपलब्ध करा सकें तथा जिससे प्रवेश में पात्र रहें एवं व्यर्थ की कठिनाई और प्रवेश से वंचित होने से बचे।

निम्न संवीक्षा में मूल दस्तावेजों की सूची आपके ऑनलाईन/ऑफलाईन पंजीयन आवेदन के समय उपलब्ध होना चाहिए, जो कि संवीक्षा में प्रदर्शित किये जाये तथा प्रवेश के समय उल्लेखित मूल दस्तावेज भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचीः–

1. व्यापम परीक्षा प्रवेश पत्र (जिसकी प्रवेश परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित)
2. व्यापम परीक्षा अंकसूची (जिसकी प्रवेश परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित)
3. कक्षा 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण–पत्र, आयु हेतु
4. कक्षा 12वीं की अंकसूची
5. छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र
6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
7. अन्य पिछड़ावर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण–पत्र (जो शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म–16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)
8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट विकलांग हेतु अवधि एवं जारी करने वाले कार्यालय परिशिष्ट अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है) (यदि लागू हो)
9. शासकीय सेवारत अभ्यर्थी होने पर सेवारत प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

(ब) संवीक्षा उपरांत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची एवं शुल्कः–

1. आबंटन पत्र
2. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
3. ट्रांसफर सर्टिफिकेट/ ट्रांसफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण–पत्र
4. चरित्र प्रमाण–पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)
5. माईग्रेसन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ–पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा।
6. गैप सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
7. पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो 04 प्रति, जो एक ही निगेटिव से बनी हो।
8. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)
9. शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क।

नोटः–

1. **व्यापम, छत्तीसगढ़ के माध्यम से बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा ली जावेगी, जिसकी सूचना व्यापम की वेबसाईट पर उपलब्ध है।**
2. **राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में संचालित नर्सिंग पाठ्यकमों की समस्त सीटों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग संचालनालय द्वारा किया जाता है। बिना काउंसलिंग प्रकिया के सीधे नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश, वैध नहीं होगा। अतः आप ऐसे व्यक्ति/एजेण्ट/महाविद्यालय जो आपको पाठ्यकम में प्रवेश दिलाने का प्रलोभन देते हो, उनके छद्म जाल में न फंसे और न ही कोई राशि उन्हें दें, और न ही प्रवेश आबंटन के पूर्व कोई शुल्क जमा नहीं करें।**
3. **उपरोक्त समस्त पाठ्यकमों के लिये आबंटन आवश्यकतानुसार ऑन–लाईन/ऑफ लाईन काऊंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिसके समय–सारिणी की सूचना पृथक से समय–सीमा निर्धारित होने पर समाचार पत्रों में तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के वेब साईट www.cgdme.co.in पर प्रकाशित किया जावेगा।**
4. **अंतिम आबंटन में अभ्यर्थी को आबंटन स्थल पर ही प्रवेश लेना होता है तथा इसके पश्चात् रिक्त सीटें कालातित हो जाती हैं, अतः उपरोक्त (अ) एवं (ब) के सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् पात्र आवेदकों को ही आबंटन जारी किया जाता है।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner